

प्रेषक,

सी0 पी0 खंडूजा,
निदेशक (सा0वा0) ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा अंतर्गत समाजिक वानिकी के तहत उत्तरजीविता की गणना के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि मनरेगा अंतर्गत वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण कार्य किये जा रहे हैं । वृक्षारोपण अंतर्गत पौधा लगाने के पश्चात उनकी देखभाल एवं उसका संपोषण कार्य के लिए वनपोषक का प्रावधान एवं जबावदेही निर्धारित है । वन विभाग में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कार्य का उत्तरजीविता गणना कार्य सितम्बर/अक्टूबर एवं अप्रैल माह में किया जाता है। इस संबंध में दिनांक 14.09.2018 से आयोजित कार्यशाला में भी उत्तरजीविता प्रतिवेदन के प्रारूप के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई थी और क्षेत्रीय कमियों से भी सुझाव प्राप्त हुये थे। इसके आलोक में उत्तरजीविता गणना हेतु प्रपत्रों में यथा संशोधन किया गया है एवं प्रखंड और जिला स्तरीय प्रतिवेदन हेतु गुगल सीट भी तैयार की गई है। उत्तरजीविता गणना हेतु तीन प्रपत्र तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है । प्रपत्र-1 पंचायत स्तरीय, प्रपत्र-2 प्रखण्ड स्तरीय, प्रपत्र-3 जिला स्तरीय गणना हेतु है । उत्तरजीविता गणना पिछले पाँच वर्षों के वृक्षारोपण कार्य के लिए की जानी है अर्थात् वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक लगाये गये पौधों की गणना की जानी है ।

प्रपत्र-1 पंचायत स्तरीय गणना हेतु है । अलग- अलग वित्तीय वर्ष के लिए और सरकारी भूमि एवं निजी भूमि के लिए अलग-अलग प्रपत्र भरे जाने हैं । इस प्रकार प्रत्येक पंचायत में सरकारी भूमि (नहर तट/पथ तट) के लिए वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक पांच प्रपत्र एवं इसी प्रकार निजी भूमि के लिए पांच प्रपत्र यथा कुल 10 प्रपत्र भरे जाने हैं । उत्तरजीविता गणना उक्त अवधि में किये गये सभी वृक्षारोपण कार्य के लिए की जानी है । उत्तरजीविता गणना कार्य करने का दायित्व पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता का होगा और वे सुनिश्चित करेंगे की 15 अक्टूबर, 2018 तक गणना कार्य पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे । कार्यक्रम पदाधिकारी प्रपत्र-1 का प्रयाप्त मात्रा में प्रिंट कराकर पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे । इस कार्य पर किये जाने वाला व्यय मनरेगा के आकस्मिकता निधि से किया जायेगा ।

प्रपत्र-2 प्रखण्ड स्तरीय प्रतिवेदन के लिए है । इसमें प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में की गयी गणना के आधार पर वर्षवार सरकारी भूमि एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण के उत्तरजीविता गणना सारांश अंकित किया जायेगा । इस प्रपत्र में सूचनाएँ अंकित कर कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा 31 अक्टूबर, 2018 तक उप विकास आयुक्त को उपलब्ध करा दिया जायेगा । इस प्रपत्र में सूचनाएँ अंकित करने के पूर्व कार्यक्रम पदाधिकारी कम से कम 25 प्रतिशत योजनाओं का स्वयं निरीक्षण कर गणना का सत्यापन करेंगे एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे ।

जिला स्तरीय प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र-3 तैयार किया गया है। इस प्रपत्र में विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरजीविता गणना कर जिला स्तरीय सारांश अंकित किया जायेगा। जिला स्तर पर कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं उप विकास आयुक्त को प्रत्येक प्रखंड में विभिन्न वर्षों में किये गये वृक्षारोपण कार्यों का कम से कम 10 प्रतिशत निरीक्षण करना आवश्यक होगा। यह प्रतिवेदन विभाग को 15 नवम्बर, 2018 तक भेजा जाना है।

उत्तरजीविता गणना का जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर अनुश्रवण करने हेतु गुगल शीट तैयार की गयी है। प्रखंड स्तरीय गुगल शीट अनुलग्नक-4 पर संलग्न की जा रही है। इस शीट के कॉलम बी-1 से बी-4 तक विभाग द्वारा भरा जायेगा। कॉलम बी-5 से बी-7 एवं बी-9 से बी-13 से संबंधित सूचनाएँ गुगल शीट में भरने की जवाबदेही कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी। कॉलम बी-8 में उत्तरजीविता प्रतिशत की गणना हेतु फॉर्मूला विभाग द्वारा डाला गया है। तदनुसार उत्तरजीविता गणना स्वतः हो जायेगी। कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन शीट को भरने का कार्य तुरंत प्रारम्भ कर दिया जाय। जैसे-जैसे पंचायतों से उत्तरजीविता गणना प्रतिवेदन-1 प्राप्त होता है उसकी सूचनाएँ बिना विलम्ब के गुगल शीट पर प्रविष्ट कर दिया जाय। शीट के कॉलम 13 में जैसे-जैसे कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है वैसे-वैसे निरीक्षणों की संख्या अंकित की जा सकती है। अन्य कॉलम बी-5 से बी-7 और बी-9 से बी-12 की प्रविष्टि पंचायतों से प्रतिवेदन प्राप्त होते ही कर दी जाय।

प्रखंड का सारांश गुगल शीट के नीचे दिया गया है एवं पंचायतों की अंकित सूचना के आधार पर उसकी गणना स्वतः हो जायेगी और पंचायतों की सूचनाएँ जैसे-जैसे प्रविष्ट की जाएगी तो प्रखंड का सारांश स्वतः संशोधित होता जायेगा। प्रखंड स्तर की गुगल शीट के समान ही जिला स्तरीय गुगल शीट तैयार की गयी है जिसे अनुलग्नक-5 पर देखा जा सकता है। जैसे-जैसे प्रखंडों द्वारा सूचनाएँ अंकित की जायेगी वैसे-वैसे सूचनाएँ स्वतः जिला स्तरीय शीट पर आ जायेगी।

जिला स्तरीय शीट में कॉलम- बी-14 से बी-16 में जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा उत्तरजीविता गणना के सत्यापन की गयी योजनाओं की संख्या अंकित की जा सकती है एवं शेष सूचनाएँ प्रखंड की गुगल शीट से लिंक होने के कारण स्वतः इस शीट पर आ जायेगी।

कार्यशाला में अनुरोध किया गया था कि सभी उप विकास आयुक्त एवं सभी कार्यक्रम पदाधिकारी अपना Gmail Address शेयर कर लें। कुछ उप विकास आयुक्त एवं कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अपने Gmail Address वॉट्सएप्प ग्रुप पर शेयर किये गये हैं और बाकि सभी से अनुरोध है कि अपना Gmail Address वॉट्सएप्प ग्रुप पर शेयर कर दें।

अतः अनुरोध है कि उत्तरजीविता गणना कार्यक्रम अविलम्ब प्रारंभ किया जाए एवं निर्धारित तिथि 15 नवम्बर, 2018 तक जिला स्तरीय प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रखंड स्तर पर गुगल शीट में डाटा इंट्री का कार्य लगातार किया जाए एवं इसका अनुश्रवण भी जिला स्तर से किया जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

20-09-18

(सी0 पी0 खंडूजा)

निदेशक (सा0वा0)

पंचायत स्तरीय वृक्षारोपण उत्तरजीविता प्रतिवेदन 2018 (सितम्बर / अक्टूबर)

वृक्षारोपण वर्ष :-

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

सरकारी भूमि (नहर तट/पथ तट)

निजी

पंचायत.....

जिला.....

प्रखंड.....

क्रम संख्या	योजना कोड	रोपित पौधों की संख्या	उत्तरजीवित पौधों की संख्या	उत्तरजीविता प्रतिशत	पौधों की औसत उंचाई	गणना की तिथि	वनपोषक का नाम	वनपोषक का हस्ताक्षर	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 की सभी योजनाओं के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

पंचायत रोजगार सेवक का हस्ताक्षर

नाम.....

पंचायत तकनिकी सहायक का हस्ताक्षर

नाम.....

कनीय अभियंता का हस्ताक्षर

नाम.....

नोट:— वृक्षारोपण वर्ष वार सरकारी एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण का अलग-अलग प्रतिवेदन तैयार किये जायें।

प्रखंड स्तरीय वृक्षारोपण उत्तरजीविता प्रतिवेदन 2018 (सितम्बर / अक्टूबर) प्रपत्र-2

जिला.....

प्रखंड.....

क्रम संख्या	भूमि	वर्ष	अभियुक्ति	रोपित पौधों की संख्या	उत्तरजीवित पौधों की संख्या	उत्तरजीविता प्रतिशत	उत्तर जीवित प्रतिशतवार योजनाओं की संख्या				अभ्युक्ति
							90 %से अधिक	75-90%	50-75 %	25 % से कम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		14-15									
2		15-16									
3		16-17									
4		17-18									
5		18-19									
उपयोग-1											
1		14-15									
2		15-16									
3		16-17									
4		17-18									
5		18-19									
उपयोग-2											
कुल योग											

पंचायत स्तरीय प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

पंचायत स्तरीय प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि 25% योजनाओं की स्थलीय जाँच अखोहस्ताक्षरी द्वारा की गई है।

कनीय अभियंता प्रथम का हस्ताक्षर

नाम.....

कनीय अभियंता द्वितीय का हस्ताक्षर

नाम.....

कार्यक्रम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम.....

जिला.....

क्रम संख्या	श्र. सि	वर्ष	अभियुक्ति	रोपित पौधों की संख्या	उत्तरजीवित पौधों की संख्या	उत्तरजीविता प्रतिशत	उत्तर जीवित प्रतिशतवार योजनाओं की संख्या				अभियुक्ति
							90 %से अधिक	75-90%	50-75 %	25 % से कम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		14-15									
2		15-16									
3		16-17									
4		17-18									
5		18-19									
उपयोग-1											
1		14-15									
2		15-16									
3		16-17									
4		17-18									
5		18-19									
उपयोग-2											
कुल योग											

प्रमाणित किया जाता है कि 10% योजनाओं की स्थलीय जाँच अशोहस्ताक्षरी द्वारा की गई है।

सहायक अभियंता का हस्ताक्षर

नाम.....

प्रमाणित किया जाता है कि 10% योजनाओं की स्थलीय जाँच अशोहस्ताक्षरी द्वारा की गई है।

कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर

नाम.....

प्रमाणित किया जाता है कि 10% योजनाओं की स्थलीय जाँच अशोहस्ताक्षरी द्वारा की गई है।

निदेशक, डी0आर0डी0ए0 का हस्ताक्षर

नाम.....

प्रमाणित किया जाता है कि 10% योजनाओं की स्थलीय जाँच अशोहस्ताक्षरी द्वारा की गई है।

उप विकास आयुक्त का हस्ताक्षर

नाम.....

Block Level Report for Survival Percentage of Plantations

Name of District :			Name of Block :				Period of Survival Count - September/October 2018					Physical Verification - No of schemes verified by PO	Remarks by PO
S.No	Name of GP	Fy of plantation	Nahar/ Path/ Individual	No of Schemes	No of plants planted	No of Surviving Plants	Survival %	No of schemes with survival percentage of				b13	b14
								90% & more	75 to 90%	50 to 75%	less than 25%		
b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11	b12	b13	b14
1	GP-1	2014-15	Gov Land										
		2015-16											
		2016-17											
		2017-18											
		2018-19											
		2014-15											
		2015-16											
		2016-17											
		2017-18											
		2018-19											
2	GP-2	2014-15	Gov Land										
		2015-16											
		2016-17											
		2017-18											
		2018-19											
		2014-15											
		2015-16											
		2016-17											
		2017-18											
		2018-19											
Block Total		2014-15	Gov Land										
		2015-16											
		2016-17											
		2017-18											
		2018-19											
		Sub total											
		2014-15											
2015-16													
2016-17													
2017-18													
2018-19													
Sub total													
TOTAL													
0													

